जी ए पी प्रमाणित औषधीय पादपों का उत्पाद
एन एम पी बी के अधीन- क्यूसीआई योजना

जी एफ सी पी प्रमाणित औषधीय पादपों का उत्पाद
एन एम पी बी के अधीन - क्यूसीआई योजना

औषधीय पादपों के उत्पाद के लिए स्वैच्छिक प्रमाणन योजना

परिचय

15 कृषि- जलवायु क्षेत्र के साथ भारत जैव विविधता के मामले में दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। पुष्पित पौधों की 17000-18000 प्रजातियों में से 7000 से अधिक का आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष प्रणाली की चिकित्सा) जैसी लोक और प्रलेखित चिकित्सा प्रणालियों में औषधीय उपयोग होने का अनुमान है।

औषधीय पादप न केवल पारंपरिक चिकित्सा और हर्बल उद्योग के प्रमुख संसाधन आधार हैं, बल्कि भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से को आजीविका और स्वास्थ्य सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। औषधीय पादपों की लगभग 1178 प्रजातियों का व्यापार होने का अनुमान है, जिनमें से 242 प्रजातियों का वार्षिक खपत स्तर 100 मीट्रिक टन/वर्ष से अधिक है। वर्ष 2014-15 के दौरान औषधीय पादपों की घरेलू मांग 1,95,000 मीट्रिक टन और औषधीय पादपों की निर्यात मांग 1,34,500 मीट्रिक टन अनुमानित की गई | वर्ष 2014-2015 में देश में हर्बल कच्ची दवा की कुल खपत 5,12,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया, जिसका व्यापार मूल्य 5,500 करोड़ रुपये है। निर्यात मूल्य में प्रमुख वृद्धि दर्ज की गई जो 2005-06 में 345.80 करोड़ रुपये से बढ़कर 2014-15 में 3211 करोड़ रुपये हो गई, यह पिछले दशक के दौरान नौ गुना वृद्धि दर्ज करती है |

औषधीय पादपों के उत्पाद हेतु स्वैच्छिक प्रमाणन योजना

परिचय

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एन एम पी बी) ने भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यू सी आई), जो भारत की सर्वोच्च गुणवत्ता सुविधा प्रदाता निकाय है, के सहयोग से गुणवत्ता में विश्वास बढ़ाने एवं भारत के औषधीय पादप आयुष उद्योग के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला कच्चा माल उपलब्ध करने के लिए, उत्तम कृषि और क्षेत्र संग्रह प्रथाओं के आधार पर औषधीय पादपों हेतु स्वैच्छिक प्रमाणन योजना विकसित की है।

योजना की शासी संरचना

आयुष सचिव की अध्यक्षता में गठित एक संचालन समिति (एस सी) द्वारा योजना की देखरेख की जाएगी, साथ ही योजना के विकास और संचालन का मार्गदर्शन भी किया जाएगा।

प्रमाणन के लिए मानक की जिम्मेदारी मानक तकनीकी समिति (टी सी) की है, जबकि प्रमाणन समिति (सी सी) प्रमाणन संबंधी मुद्दों को देखती है। उत्तम कृषि पद्धतियों और उत्तम क्षेत्र संग्रह प्रथाओं के मानकों को जनवरी, 2010 में अनुमोदित किया गया था। प्रमाणन संबंधी दस्तावेजों को अक्टूबर, 2010 में अनुमोदित किया गया था। हालांकि, इस योजना को बाद में 2017 में संशोधित किया गया और अब यह परिचालन में है।

योजना के दस्तावेज एन एम पी बी की वेबसाइट (www.nmpb.nic.in) के साथ-साथ क्यू सी आई की वेबसाइट (http://www.qcin.org/vcsmpp.php) पर भी उपलब्ध हैं।

योजना का संचालन

इस योजना के तहत, कोई भी खेतिहर/संग्रहकर्ता/कृषकों का समूह/किसी अनुमोदित प्रमाणन निकाय (सी बी) से प्रमाणन प्राप्त कर सकेगा तथा प्रमाणन निकाय की नियमित निगरानी में रहेगा। योजना में एक लॉट के निरीक्षण और प्रमाणित होने के विकल्प भी रखे गए हैं। यह व्यापारियों की ही तरह बिचौलियों के प्रमाणीकरण की भी अनुमति देता है, जो प्रमाणित औषधीय पादपों की सामग्री का स्रोत बन सकते हैं और आगे आपूर्ति कर सकते हैं ।

क्यू सी आई शुरू में योजना के लिए कुछ प्रमाणन निकायों को अस्थायी रूप से मंजूरी देगा, लेकिन अंततः ऐसे सी बी की तकनीकी क्षमता को प्रत्यायन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मान्य अवधारणा के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। क्यू सी आई के तहत राष्ट्रीय प्रमाणन निकायों (एन ए बी सी बी) के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, राष्ट्रीय मान्यता निकाय के रूप में, पहले से ही लागू अंतर्राष्ट्रीय मानक, आईएसओ 17065 के अनुसार उत्पाद प्रमाणन निकायों की मान्यता के लिए एक योजना का संचालन कर रहा है, और मानक एवं सक्षम संचालन के लिए लागू अंतर्राष्ट्रीय औषधीय पादप प्रमाणन योजना के अनुसार मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय को प्रत्यायन प्रदान करेगा | इसी तरह, योजना के तहत एन ए बी एल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं का उपयोग किया जाएगा। भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में योजना की स्वीकृति को सुविधाजनक बनाने के लिए इन उपायों को डिजाइन किया गया है।

सामान्य रूप से प्रमाणन प्रकिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे :

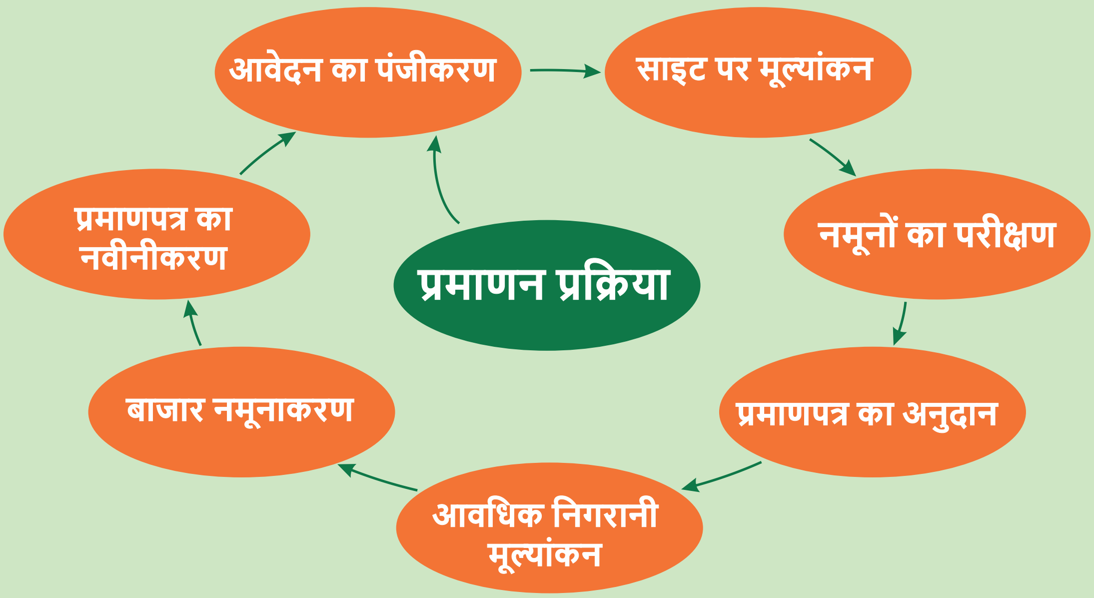

लाभार्थी

इस योजना से औषधीय पौधों की खेती करने वालों / संग्राहकों / खेतिहरों के समूह / संग्राहकों के समूह, व्यापारियों, हर्बल दवाओं के निर्माताओं, समितियों, आयुष उद्योग और आयुष उपभोक्ताओं को औषधीय पौधों/जड़ी-बूटियों की सुनिश्चित गुणवत्ता के कारण लाभ होगा।

अतिरिक्त लाभ

रिकॉल/अस्वीकृति के जोखिम में कमी।
भारतीय जड़ी बूटियों में खरीदारों के विश्वास में वृद्धि।
कानूनी अनुपालन का आश्वासन।
स्थायी संग्रह का आश्वासन ।

एन एम पी बी के बारे में

औषधीय पादपों के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने 24 नवंबर, 2000 को राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एन एम पी बी) की स्थापना की| वर्तमान में बोर्ड भारत सरकार के आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) में स्थित है। एन एम पी बी का प्राथमिक अधिदेश भारत में विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / संगठनों के बीच समन्वय के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करना और दोनों केंद्र/राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औषधीय पौधों के क्षेत्र के समग्र (संरक्षण, खेती, व्यापार और निर्यात) विकास के लिए समर्थन नीतियों/कार्यकमों को लागू करना है|

हाल के वर्षों में औषधीय पादपों की खेती को गति मिलने लगी है। हालांकि, अभी भी हमारी आवश्यकताओं के महत्वपूर्ण हिस्से की पूर्ति पूरी तरह से जंगली स्रोतों पर निर्भर है।

औषधीय पादपों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए,एन एम पी बी अपना ध्यान इन सीटू और एक्स सीटू के संरक्षण और स्थानीय औषधीय पौधों और चिकित्सा महत्व की सुगंधित प्रजातियों को बढ़ाने पर केंद्रित करता है। एन एम पी बी अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण, गृह/विद्यालय हर्बल उद्यानों के निर्माण जैसी प्रचार गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने को भी बढ़ावा देता है।

एन एम पी बी उन्नत कृषि और संग्रह प्रथाओं (जी ए सी पी) के विकास, गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता के मानकों को निर्धारित करने वाले मोनोग्राफ के विकास, कृषि तकनीक और विश्वसनीय संस्थान का विकास, कच्ची दवाओं, बीजों और रोपण सामग्री की गुणवत्ता के प्रमाणीकरण के लिए तंत्र के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन और मानकीकरण के कार्यकमों का भी समर्थन करता है।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यू. सी. आई.) के बारे में

भारतीय गुणवत्ता परिषद(क्यू सी आई) की स्थापना वर्ष 1997 में भारत सरकार और भारतीय उद्योग के प्रमुख संघों में से तीन संघों एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी| इसकी स्थापना का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रत्यायन संरचना की स्थापना तथा संचालन और राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यू सी आई) के लिए नोडल मंत्रालय है|

प्रत्यायन गुणवत्ता, पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा आदि क्षेत्रों में विभिन्न अनुरूपता मूल्यांकन निकायों द्वारा किए जा रहे प्रमाणन, निरीक्षण और परीक्षण की समानता और वैश्विक स्वीकृति की स्थापना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा प्रदान करता है।

राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान का उद्देश्य निर्माताओं और वस्तुओं / सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को गुणवत्ता मानकों और उपकरणों को लागू करने में सक्षम बनाने और साथ ही साथ उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं / सेवाओं की मांग के लिए सशक्त बनाने के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा देना है|

अधिक जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करें:

NATIONAL MEDICINAL PLANTS BOARD
Plants For Health & Prosperity

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार,
तीसरी मंजिल, आयुष भवन, बी ब्लॉक,
जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, आईएनए,
नई दिल्ली - 110023, भारत
फोन: 011 - 24651825 | ई-मेल: info-nmpb@nic.in,
वेबसाइट: www.nmpb.nic.in

QCI QUALITY COUNCIL® OF INDIA
Creating an Ecosystem for Quality

भारतीय गुणवत्ता परिषद
इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स बिल्डिंग, दूसरी मंजिल
बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली- 110002, भारत
फोन: +91- 11- 23379321, 23379260,
ई-मेल: vcsmpp@qcin.org
वेबसाइट: www.qcin.org